

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर


पृष्ठांकन क्रमांक 513(A)/गोपनीय/2019
II-2-1/19 (Part-B)

जबलपुर, दिनांक 01 मई, 2019

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 2424/2019/21-ब(एक), दिनांक 26-04-2019 की प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
2. प्रधान महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर - 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
3. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश-ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
4. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
5. श्री भैयालाल वर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मकान नंबर 29, कम्फर्ट हेरीटेज, अयोध्या बायपास, भोपाल को उनके आवेदन पत्र दिनांक 21-05-2018 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विदिशा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर-452001/जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
6. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन)/ (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
7. रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. ओ.एस.डी अकाउंट, उच्च न्यायालय म0प्र0, जबलपुर को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे श्री भैयालाल वर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जिन्हें दिनांक 02.09.2014 के स्थान पर 15.02.2013 से पदोन्नति, राज्य शासन के संलग्न आदेश के द्वारा प्रदान की गई है, के संबंध में पुनरीक्षित वेतन निर्धारण करवा कर स्वत्वों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
9. अनुभाग अधिकारी, बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ अग्रिम/ अवकाश / सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।

टिप्पणी :- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg. (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।


(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

"आदेश"

भोपाल, दिनांक अप्रैल, 2019

फा.क्रमांक 2424/2019/21-ब (एक), भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, उच्च न्यायालय के परामर्श से पूर्व में जारी विभागीय आदेश फा.क्रमांक 3(ए)4/2014/21-ब(एक) दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में संशोधन कर श्री भैयालाल वर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गंजबसौदा, जिला विदिशा को मध्यप्रदेश शासन एतद्वारा मध्य प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवाशर्तें) नियम, 1994 यथासंशोधित नियम 5(1)(ब) के अंतर्गत उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 15.02.2013 से जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) वेतनमान रुपये 51550-1230- 58930-1380-63070, के पद पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

प्रमुख सचिव,


मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.फा.क्र. 2424/2019/21-ब (एक)

भोपाल, दिनांक 26.04.2019

प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 357/Confdl/2019 II-2-1/2019 दिनांक 18.03.2019 के संदर्भ में,
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित,
3. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल, की ओर म.प्र. राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित,
4. श्री भैयालाल वर्मा, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, गंजबसौदा जिला विदिशा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


26.04.2019
(रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

